प्रेस नोट दिनांक 17.09.2020

सराहनीय कार्य जनपद बागपत।

- **अवैध षराब की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 03 बोतल, 34 पव्वे,अंग्रेजी/देषी षराब हरियाणा प्रदेष मार्का व 04 लीटर अपमिश्रित षराब नाजायज बरामद।**

चांदीनगर– पुलिस द्वारा दिनांक 16.09.2020 को बाद मुठभेड जंगल ग्राम मंसूरपुर से अभियुक्त रोहतास पुत्र स्वराज निवासी चमरावल थाना चांदीनगर जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से 03 बोतल अंग्रेजी षराब हरियाणा मार्का व 04 लीटर अपमिश्रित षराब, 02 लीटर सफेद दृव्य व एक किलोग्राम यूरिया बरामद किया है। अभियुक्तों के साथी मौके से फरार हो गये। जिनकी तलाष की जा रही है। अभियुक्त के विरूद्व थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 157/2020 धारा 147, 148, 149, 307 भादवि व मु0अ0सं0 158/2020 धारा 63 आबकारी अधिनियम व 272 भादवि में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

व गढी कलंजरी से अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र भगवत निवासी ग्राम भगौट थाना चांदीनगर जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से 34 पव्वा देषी षराब यूपी मार्का नाजायज बरामद की गई है। अभियुक्त के विरूद्व थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 156/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **षस्त्र अधिनियम में 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 अदद चाकू नाजायज बरामद।**

थाना दोघट– पुलिस द्वारा दिनांक 16.09.2020 को नहर पुलिया ग्राम पलडी से अभियुक्त टीनू पुत्र वेदू निवासी ग्राम पलडी थाना दोघट जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से एक चाकू नाजायज बरामद किया गया है। अभियुक्त के विरूद्व थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना बागपत– पुलिस द्वारा दिनांक 17.09.2020 को कष्यप कालोनी कस्बा बागपत से अभियुक्त इमरान पुत्र इरफान निवासी कस्बा व थाना बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से एक चाकू नाजायज बरामद किया गया है। अभियुक्त के विरूद्व थाना बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **थाना एएचटीयू बागपत द्वारा चलाये जा रहे नो चाइल्ड लेवर अभियान के दौरान 02 बाल श्रमिको का कराया गया रेस्कयू।**

आज दिनांक 17.09.2020 को श्री मनीष मिश्रा अपर पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत/नोडल अधिकारी ए0एच0टी0यू0 जनपद बागपत व श्री मंगल सिह रावत क्षेत्राधिकारी खेकडा के कुशल नेतृत्व में थाना एएचटीयू बागपत टीम द्वारा नो चाइल्ड लेवर अभियान चलाया गया। जिसमे थाना कोतवाली बागपत क्षेत्र से 02 बाल श्रमिको का रेस्कयू किया गया। बाल श्रमिको को मा0 न्यायालय सीडब्लूसी बागपत के समक्ष पेष कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

रेस्क्यू किये गये बाल श्रमिको व सेवायोजक/निरीक्षत प्रतिष्ठान का नाम व पता एवं बच्चों का किया गया कार्य–

1–अकरम पुत्र इदरीष निवासी किषनपुर बराल हाल पता गौरीपुर निवाडा थाना बागपत (उम्र करीब 15 वर्ष)।

उक्त बाल श्रमिक अमित पुत्र अजबसिंह निवासी झंकार गली निकट हनुमान मन्दिर कस्बा व थाना बागपत, के यहां षिव नान भण्डार, गौरीपुर मोड बागपत, पर मेज पर कपडा लगाना, बर्तन उठाना, बर्तन धोना व खाना परोसने का कार्य कर रहा था।

2–मनीष पुत्र पालेराम निवासी कस्बा व थाना छपरौली हाल पता खुब्बीपुर निवाडा थाना बागपत (उम्र करीब 13 वर्ष)।

उक्त बाल श्रमिक साजन पुत्र अनीष निवासी मौहल्ला देषराज कस्बा व थाना बागपत के यहां चौधरी आटो सर्विस सैन्टर गौरीपुर मोड बागपत पर मोटरसाईकिल की सर्विस व मरम्मत के दौरान हेल्पर का कार्य कर रहा था।

टीम का विवरण :–

1–उप निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिह सन्धु प्रभारी ए0एच0टी0यू0 जनपद बागपत।

2–श्री देवेन्द्र धामा नवोदय लोक चेतना कल्याण समिति खेकडा जनपद बागपत।

3–श्रीमति दीपांजली, जिला बाल संरक्षण अधिकारी बागपत।

4–आरक्षी 106 प्रवीण कुमार–थाना ए0एच0टी0यू0 जनपद बागपत।

5–म0आरक्षी 251 निदा राणा –थाना ए0एच0टी0यू0 जनपद बागपत।